

राजस्थान – सरकार
कार्यालय अधीक्षण अभियन्ता (केन्द्रीय भण्डार) भू – जल विभाग,
न्यू पावर हाउस रोड, जोधपुर

दूरभाष 0291-2432765 / 2431942, फ़ैक्स- 0291 - 2631295 / 2431942 mail - secsgwdjdpr@gmail.com / chiefgwd3@gmail.com, website
http://phedwater.rajabsthan.gov.in GSTIN:08JDHS01576B1D5

कमांक :- प.2(6)/एस.के.जी./स्टेट प्लान- सी.सी.टी.वी. कैमरा/अ.अ./के.भं./भूजवि/जो/2018-19/892 दिनांक:- 31/11/19

Invitation to Bid under RTPP Section 30(1)(b) & Rule16(2)(a)

कार्यालय अधीक्षण अभियन्ता केन्द्रीय भण्डार भू – जल विभाग, जोधपुर द्वारा निम्न लिखित सामग्री आपूर्ति, एवं स्थापना कार्य हेतु अपने बोली दरे प्रस्तुत किये जाने के लिये अनुभवी/विभागीय निविदाओं के माफ़त कार्य करने के अनुभवी/इस प्रकार के कार्य किये जाने के लिये अधिकृत अथवा पंजीकृत ठेकदारों/सप्लायरों से राजस्थान लोक उपापन में पारदर्शिता नियम, 2012 के नियम 16(2)(a) के अन्तर्गत अनुरोध किया जाता है। ऐसे निविदादाताओं से अनुरोध है कि वह कार्य किये जाने के लिये कार्य की समस्त शर्तों को ध्यान में रखते हुवे दरे कोटेशन के माफ़त अपने लेटर हैड में दिनांक 06.02.2019 तक अपरान्ह 12.00 बजे तक इस कार्यालय को सील बन्द लिफाफों में मय इस Invitation to Bid की प्रति पर दस्तखत (शर्तों की स्वीकारोक्ति) कर डाक अथवा स्वयं उपस्थित होकर प्रस्तुत करे। प्राप्त कोटेशन दिनांक 06.02.2019 को अपरान्ह 1.00 बजे निम्न हस्ताक्षरकर्ता के कक्ष में खोले जायेंगे जिसमें इच्छुक बोलीदाता उपस्थित हो सकते हैं।

क. सं.	कार्य का विवरण	कार्य की मात्रा	अनुमानित दर (रु.)
1	भू जल विभाग, न्यू पावर हाउस रोड जोधपुर स्थित कार्यालय परिसर में स्थित विभिन्न कार्यालयों भिन्न भिन्न स्थानों पर अधिकतम 16 सी. सी. टी. वी. कैमरा (एच. डी. तकनिक) एवं सम्बन्धित उपकरणों, सहायक उपकरणों /आईटमो यथा डी. वी. आर., हार्ड डिस्क – 4 टी. बी. , पावर सप्लाय, केबल, कट केबल, ओ. एफ. सी. केबल, बॉक्स, कनेक्टर्स, रेक, पावर डिस्ट्रीब्युसन, यूनिट, सोकेट, मिडिया कनवर्टर आदि की आपूर्ति एवं स्थापना कर आवश्यक कनेक्सन करते हुवे चालु करना।	अधिकतम 16 सी. सी. टी. वी. कैमरा (लगभग 4 मेगा पिक्सल) का कम्पलीट सेट अप बगैर मॉनिटर /टी. वी. स्क्रीन के	120000/-

शर्त :-

- प्रत्येक बोलीदाता/निविदादाता एक ही कोटेशन प्रस्तुत कर सकता है।
- कोटेशन में प्रस्तुत दरे समस्त प्रकार के लागू करो एवं अन्य लेवी को सम्मिलित कर दी जानी है। विभाग द्वारा किसी भी प्रकार के कर अथवा अन्य लेवी का पृथक से भुगतान नहीं किया जावेगा। दरो हेतु निर्धारित संलग्न प्रपत्र (पेज – 3) का ही उपयोग किया जावे।
- कोटेशन में प्रस्तुत दरो में आपूर्ति, लोडिंग, अनलोडिंग, स्थापना एवं अन्य आवश्यक कार्यों में लगने वाले खर्च आदि सम्मिलित होने चाहिये विभाग द्वारा कोटेशन में दी गयी कार्य की दरो के अतिरिक्त किसी भी प्रकार का भुगतान अलग से भुगतान नहीं किया जावेगा।
- बोलीदाता/निविदादाता कार्य की दरे प्रस्तुत करने से पूर्व कार्य यथा जानकारी एवं आपूर्ति स्थापना स्थल आदि अधिशाषी अभियन्ता (सिविल) भू जल विभाग, जोधपुर कार्यालय 0291-2432462 में उपस्थित होकर प्राप्त कर सकता है।
- आपूर्ति एवं स्थापना सम्बन्धी समस्त कार्य पूर्ण कर सेट अप को चालु कर सुपूर्द किये जाने की अवधि – 30 कार्यदिवस है। इस अवधि के पश्चात कार्य पूर्ण किये जाने पर निम्नानुसार एल. डी. राशि भुगतान योग्य राशि में से कटौती कर ली जावेगी :-

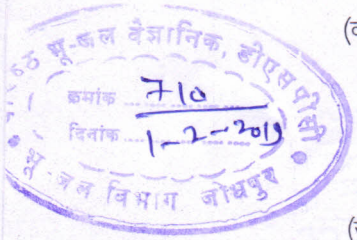
परिसमापित नुकसानी :- परिसमापित नुकसानी के साथ सुपुर्दगी अवधि में वृद्धि करने के मामले में, वसूली निम्नलिखित प्रतिशतता के आधार पर उन सामानों के मूल्यों के लिए की जाएगी जिनका निविदादाता प्रदाय करने में असफल रहा है :-

- (क) (1) विहित सुपुर्दगी अवधि की एक चौथाई अवधि तक के विलम्ब के लिए – 2.5 प्रतिशत
(2) विहित सुपुर्दगी अवधि से अधिक किन्तु विहित अवधि की आधी अवधि से अनाधिक के लिए – 5 प्रतिशत
(3) आधी अवधि से अधिक किन्तु विहित अवधि के तीन चौथाई से अनाधिक अवधि के लिए – 7.5 प्रतिशत
(4) विहित अवधि की तीन चौथाई से अधिक के विलम्ब के लिए – 10 प्रतिशत

(ख) प्रदाय में विलम्ब की अवधि की गणना करते समय आधे दिन से कम भाग को छोड़ दिया जाएगा।

(ग) परिसमापित नुकसानी की अधिकतम राशि 10 प्रतिशत होगी।

(घ) यदि प्रदायकर्ता किन्हीं बाधाओं के कारण संविदान्तर्गत माल का प्रदाय पूरा करने के लिए समय में वृद्धि करना चाहता है, तो वह लिखित में उस प्राधिकारी को आवेदन करेगा जिसने प्रदायगी हेतु आदेश दिया है।



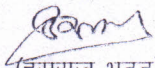
Sh. S. Mehta
21/11/19

(1/2)

(Signature)

किन्तु वह उसके लिए निवेदन बाधा के घटित होने पर तुरन्त उसी समय करेगा न कि प्रदाय पूर्ण होने की निर्धारित तारीख के बाद करेगा।

6. निर्धारित समय अवधि व तारीख के बाद प्राप्त निविदाएं स्वीकार नहीं की जावेगी।
7. वांछित गुणवत्ता के अनुसार आपूर्ति एवं कार्य नहीं होने पर आपूर्ति एवं कार्य निरस्त किया जाकर अन्य फर्म से कार्य करवाये जाने के लिये विभाग स्वतन्त्र है।
8. स्थापना सम्बन्धी कार्य विभागीय कार्य दिवस पर प्रातः 10 बजे से साँय 5 बजे तक विभाग द्वारा अधिकृत प्रतिनिधि के समक्ष किया जाना है। इस आपूर्ति के सम्बन्ध में कन्साईनी के रूप में अधिशाषी अभियन्ता - सिविल भू जल विभाग, जोधपुर - 0291-2432462 को अधिकृत किया जाता है। सामग्री की आपूर्ति कन्साईनी द्वारा ली जाकर उनके निर्देशानुसार स्थापना का कार्य पूर्ण किया जाना है तथा आपूर्ति एवं स्थापना के सन्तोषप्रद होने सम्बन्धी प्रमाणीकरण कन्साईनी द्वारा इनवॉइस/चालान/इन्सटालेशन रिपोर्ट/अन्य दस्तावेज पर किये जाकर इस प्रमाणिकरण को इनवॉइस सहित कार्यालय अधीक्षण अभियन्ता केन्द्रीय भण्डार भूजल विभाग, जोधपुर को प्रस्तुत किये जाने पर इसी कार्यालय द्वारा विधिवत भुगतान किया जा सकेगा। इनवॉइस अधीक्षण अभियन्ता केन्द्रीय भण्डार भूजल विभाग जोधपुर के नाम प्रस्तुत करना है।
9. डी. वी. आर. एवं अन्य सहायक उपकरणों की स्थापना मुख्य अभियन्ता के कक्ष के पास वाले कक्ष में की जानी है। सी. सी. टी. वी. कैमरा के कम से कम एक माह के फुटेज को मेमोरी में रखे जाने के लिये आवश्यक सहायक उपकरण लगाया जाना है। कृपया ध्यान रहे कि मॉनिटर/टी. वी. स्क्रीन की आपूर्ति एवं स्थापना नहीं की जानी है।
10. सी. सी. टी. वी. कैमरा के संभावित लोकेशन सम्बन्धी ले आऊट संलग्न (पेज - 4) है। कैमरो की अधिकतम संख्या 16 है एवं बजट उपलब्धता के अनुरूप कैमरो की संख्या में परिवर्तन संभव है अतः प्रत्येक कैमरे की दर पृथक से दी जावे ताकि वास्तव में लगने वाले कैमरो की संख्या के अनुसार भुगतान किया जा सके।
11. भुगतान - कार्य संतोषपूर्वक तरीके से पूर्ण होने पर प्रस्तुत बिलों की प्राप्ति के एक माह के भीतर किया जा सकेगा।
12. कटौतियाँ - आपूर्ति एवं कार्य पूर्णता के समय प्रचलित नियम, कानून आदि के अनुसार किसी भी प्रकार की कटौति बिल से की जा सकती है।
13. उक्त के विरुद्ध कोटेसन प्रस्तुत किये जाने के साथ साथ निम्न सुचनाये आवश्यक रूप से प्रस्तुत की जानी है :
 - i) आपूर्ति के लिये दिये गये ऑफरड प्रोडक्ट का मैक मॉडल (संलग्न फॉर्मेट फॉर प्राइस बिड) :
 - ii) आपूर्ति के लिये दिये गये ऑफरड प्रोडक्ट (मुख्य मुख्य उपकरणों) की क्षमता :
 - iii) आपूर्ति के लिये दिये गये ऑफरड प्रोडक्ट (मुख्य मुख्य उपकरणों) के लिफलेट/पम्फलेट :
 - iv) आपूर्ति के लिये दिये गये ऑफरड प्रोडक्ट की गारण्टी/वारण्टी अवधि (संलग्न फॉर्मेट फॉर प्राइस बिड) :
 - v) किसी भी प्रकार की शिकायत के लिये टॉलफ्री अथवा अन्य टेलिफोन नं. :
 - vi) बोली दाता फर्म का जी. एस. टी. नं. (कृपया प्रति संलग्न करे).....
 - vii) बोलीदाता फर्म के बैंक एकाउन्ट का विवरण जिसका उपयोग भुगतान हेतु किया जाना है :
14. उक्त Invitation to Bid का प्रकाशन <http://sppp.rajasthan.gov.in/> पर यू. बी. एन. नं. से किया जा रहा है।
15. सामग्री हेतु दरे संलग्न प्रारूप में ही प्रस्तुत की जानी है। संलग्न प्रारूप में वांछित सूचना भरकर निविदादाता के हस्ताक्षर एवं रबड़ मोहर आवश्यक रूप से अंकित की जावें।
16. प्रत्येक सामग्री हेतु गारण्टी/वारण्टी अवधि का अंकन भी आवश्यक रूप से किया जावें।
17. प्रोडक्ट के सिरियल नं., गारण्टी वारण्टी कार्ड आपूर्ति के साथ दिये जाने है। उक्त कार्य/खरीद प्रक्रिया राजस्थान लोक उपापन में पारदर्शिता नियम 2013 के अधधीन रहेगी।


(हंसराज भट्ट)

अधीक्षण अभियन्ता
(केन्द्रीय भण्डार)

भू जल विभाग, जोधपुर

प्रेषित - No. 895

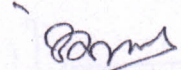
1. ~~For work on the following for Purchase their own~~
2. 1) TE, 100, 150mm (2) FA, 400, 50mm.
3. 3) SL/SHG, 400mm (4) LE, 400, (CIVIL), Div., 400, 50mm
4. 5) TE, 100, 150mm (6) SL, 400, 50mm (7) SL, 400, 50mm
5. 8) TE, 100, 150mm (9) SL, 400, 50mm (10) SL, 400, 50mm

(24)

FORMAT FOR PRICE BID (To be submitted on letter head of the Bidder)

S. N.	Products	Brand / Make	Description	Unit	Price Rs./ Unit	GST	Qty.	Total Cost (Rs.)
1	DVR							
2	Bullet Camera 4 MP / 2.4 MP							
3	Hard Disc 4 TB							
4	Power Supply							
5	Cable (Data + Power)							
6	OFC Cable							
7	CAT 6 Cable							
8	White Box							
9	BNC Connectors							
10	Rack 4U							
11	Power Distribution Unit & Cable Manager							
12	Centerville Shelf							
13	DC Socket							
14	Media Converter							
15	Cabling							
16	OFC Silcing							
17	HDMI Cable							
18	Supply Installation, Testing & Fixing							

1. Delivery Period :
2. Guarantee / Warranty :
3. Rates for AMC after guarantee / warranty period :
4. Other :


Signature of Tenderer

